प्रा/निग०/सिंगरौली/भू-रा०/2017/3412 (86)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

---

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 — विलोपित / COURT TWENTY RUPEES — विलोपित / 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 — विलोपित

अधि० श्री रामाश्रय शुक्ला
कार्यपेश / 06.10.17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1- कालिका प्रसाद पिता प्रेमलाल वैसवार

2- केशरी प्रसाद पिता प्रेमलाल वैसवार,

3- कमलाकर प्रसाद पिता प्रेमलाल वैसवार

सभी का पेशा खेती सभी निवासीगण ग्राम हर्रा बीरान, तहसील

देवसर जिला सिंगरौलीम०प्र० -------- आवेदकगण निगराकार

वनाम

जगजीवनलाल पिता स्व० बुधन वैसवार निवासीग्राम जोगिनी हर्राबीरान:

तहसील देवसरजिला सिंगरौलीम०प्र०---- अनावेदक/ गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर कले०

महोदय के प्रकरण क्रमांक 31/निगरानी/2011-12

में पारित आदेश दिनांक 15-मार्च2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व

संहितासन 1959ई०

मान्यवर,
निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों

पर प्रस्तुत है:-

1- यहकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम

न्यायीक प्रक्रिया के अनुरूप न होने के कारण काबिल निरस्तगीकेहै।

2- यहकि विवादित भूमिया सवाईलाल वैसवार के स्वत्वव आधिपत्य

20/12/17

XXXIX(a)-BR(H)-11

(86)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/2017/3712 जिला– सिंगरौली

कालिका प्रसाद वैसवार/ जगजीवनलाल वैसवार

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 31/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	